न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 47 / 2025 दायर तारीख :– 30.05.2025

माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह जरिये पुजी रघुनाथ प्रसाद शर्मा पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी मण्ढाभीमसिंह तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान।

–– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

–– अप्रार्थी

उपस्थित : श्री शंकरलाल काजला , अधिवक्ता प्रार्थी
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र बाबत 128,111 एल0आर0 एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 19/09/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह का पुजारी है तथा मन्दिर के नाम की व कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 675, 676, 677,678,679,680,681 किता 07 कुल रकबा 2.9209 हैक्टैयर वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह पटवार हल्का मण्ढाभीमसिंह तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है की साल सम्भाल व देखरेख व संरक्षा करता है। उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण हिस्सा माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी जरिये प्रार्थी उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी माफी मंदिर श्री रघुनाथजी महाराज विराजमान वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह जरिये पुजारी की उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 675,676,677,678,679,680,681 का सीमाज्ञान दिनांक 16.04.2021 को हो चुका है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 की रिपोर्ट पत्रावली में सलंग्न है। प्रार्थी पुजारी काश्तकार मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा प्रार्थी पुजारी की उक्त आराजीयात के आस पास आवारा पुशओं की आवाजाही रहती है। जिससे उनको अपनी उक्त आराजीयात को विकसित व उन्नत करने में काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। प्रार्थी पुजारी ज्यादा कानूनी कार्यवाही में समझता नहीं है। राजकाज में भी नहीं समझता है व माफी मंदिर श्री रघुनाथ महाराज विराजमान वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह की जमीन को विकसित करने में प्रार्थी पुजारी को काफी सामना करना पडता है। प्रार्थी पुजारी प्रशासन गांव के संग अभियान में भी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के लिए काफी चक्कर लगा चुका है। लेकिन पत्थर गढी के आदेश नहीं हुये है। प्रार्थी ने दिनांक 16.04.21 को श्रीमान तहसीलदार महोदय व पटवारी महोदय की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवा लिया है। सीमाज्ञान की प्रमाणित प्रति लेने के पश्चात प्रार्थी तहसीलदार कि0 रेनवाल को दिनांक 16.04.2021 को पत्थरगढी करने का निवेदन

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

किया तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रकरण संक्षिप्त विचारण का प्रकरण है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 से जवाब प्रा0पत्र प्राप्त किया गया जिसमें तहसीलदार के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर का सीमाज्ञान दिनांक 16.04.2021 को होना बताया ।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 16.04.2021 की प्रति आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थीया ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीया ने अपनी आराजी का दिनांक 16.04.2021 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है तथा प्रार्थीया को अपनी आराजीयात की मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाये जाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।
5. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी खं0नं0 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681 कुल किता 7 कुल रकबा 2.9209 हैक्टैयर वाके ग्राम मण्ढाभीमसिंह पटवार हल्का मण्ढाभीमसिंह तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.04.2021 के अनुसार तहसीलदार किशनगढ रेनवाल आदेशित किया जाता है कि :–

01. प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये।
02. तहसीलदार तहसील कि0 रेनवाल को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करे।
03. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खडी फसल एंव वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय मे पालना सुनिश्चित की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

04. तहसील कि0 रेनवाल को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तातंरण नहीं करे।

05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। कब्जा संबंधी मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पृथक से प्रावधान है उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 19/09/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल

सर्वेश शर्मा (आर0ए0स0)
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल